भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1464
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 9 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

स्मारकों का संरक्षण और नियमों का प्रवर्तन

1464. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास स्मारकों की सुरक्षा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की भूमिका की संपरीक्षा करने के लिए कोई प्रणाली है;
(ख) क्या प्रमुख शहरों में प्रमुख स्मारकों के पास अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माणकर्ताओं को रोकने में एएसआई शिथिल रहा है;
(ग) संरक्षित स्मारकों के आसपास नियमों के प्रवर्तन और सुरक्षा की कमी के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे कार्यों में जनता को भागीदार बनाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): सरकार के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य-निष्पादन की लेखापरीक्षा करने के लिए एक व्यापक प्रणाली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग), आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंधों और विशिष्ट कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती हैं।

(ख): कुछ संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों (स्थलों) के परिसरों में और इनके आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों का निपटान प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और तत्संबंधी नियमावली, 1959 के प्रावधानों के प्रवर्तन के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस समस्या से निपटने में शिथिल नहीं है।

(ग): कुछ संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों (स्थलों) में अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों की जांच की गई और इनका निपटान प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अनुसार इनकी सुरक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

(घ): विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और अन्य अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि हेरिटेज वॉक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के दौरान प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनों आदि का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में आम जनता, स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल होते हैं। इसके अलावा, आम जनता के लाभ के लिए व्याख्या केंद्रों पर धरोहर पर वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ ही, इन धरोहरों को संवर्धित करने और इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित हेतु एडॉप्ट ए हेरिटेज नामक योजना के तहत स्मारकों और स्थलों को गोद लेने की शुरुआत भी की गई थी।

*****